

कार्यालय पुलिस उप महानिरीक्षक, चित्रकूटधाम परिक्षेत्र, बॉदा।

पत्र संख्या:सीओसी-ज०सू०अ०-टीएससी-142/2012(IX)

दिनांक: मार्च 29, 2025

सेवा में,

पुलिस अधीक्षक / सहायक निदेशक,

उ०प्र० पुलिस कम्प्यूटर केन्द्र,

लखनऊ।

विषय:-सूचना अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 4(1)(ख) के अन्तर्गत अंकित बिन्दु संख्या-01 से बिन्दु संख्या-17 तक के सम्बन्ध में सूचना / अभिलेखों को उ०प्र० पुलिस की वेबसाइट पर अपलोड किये जाने विषयक-

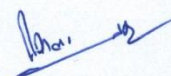
कृपया उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या:टीएससी-142/2012(IX) दिनांक:20.03.2025 के सन्दर्भ में सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 4(1)(ख) के अनुसार कार्यालय उप महानिरीक्षक,चित्रकूटधाम परिक्षेत्र, बॉदा की निम्नलिखित सूचना उ०प्र० पुलिस की वेबसाइट <http://uppolice.gov.in> पर प्रकाशित किये जाने हेतु निम्नवत् प्रेषित है।

- 1- परिक्षेत्र स्तर पर सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत एक प्रकोष्ठ का गठन किया गया है,जिसमें एक जनसूचना अधिकारी की नियुक्ति की गयी है।
- 2- जनसूचना अधिकारी की शक्तियां / कार्य - जनसूचना अधिकारी द्वारा व्यक्तियों / संस्थाओं द्वारा मांगी गयी सूचनाओं को अधिनस्थ जनपदों से प्राप्त कर सम्बन्धित को उपलब्ध कराना एवं सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 6(3) के अन्तर्गत सम्बन्धित जनपदों को अन्तरित किया जाना।
सहायक जनसूचना अधिकारियों की शक्तियां / कार्य- अपनी शाखा से सम्बन्धित सूचना, जनसूचना अधिकारी को समय से उपलब्ध कराना।
- 3- प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर उसका रजिस्ट्रीकरण एवं सम्बन्धित जनपदों को सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 6(3) के अन्तर्गत अन्तरित करना या सूचनायें प्राप्त कर सम्बन्धित को निर्धारित समय में उपलब्ध कराना।
- 4- निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत सूचनायें प्राप्त करना और समय से आवेदक को सूचना उपलब्ध कराना।
- 5- सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत दिये गये नियमों का अनुपालन करना / कराना।
- 6- दस्तावेजों का श्रेणीवार विवरण निम्नलिखित है:-
 - कार्यालय पुलिस महानिदेशक,उ०प्र० लखनऊ से प्राप्त प्रार्थना पत्र।
 - कार्यालय अपर पुलिस महानिदेशक से प्राप्त प्रार्थना पत्र।
 - पंजीकृत डाक से प्राप्त प्रार्थना पत्र
 - शासन / अन्य से प्रार्थना पत्र।
 - अपीलीय प्रार्थना पत्र।
- 7- सुसंगत नियमों के अनुसार कार्यवाही की जाती है।
- 8- सुसंगत नियमों के अनुसार कार्यवाही की जाती है।
- 9- सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत दिये गये नियमों का अनुपालन किया जाता है।
- 10- सुसंगत नियमों के अनुसार कार्यवाही की जाती है।
- 11- सुसंगत नियमों के अनुसार कार्यवाही की जाती है।
- 12- सुसंगत नियमों के अनुसार कार्यवाही की जाती है।

- 13- सुसंगत नियमों के अनुसार कार्यवाही की जाती है।
 14- सुसंगत नियमों के अनुसार कार्यवाही की जाती है।
 15- सुसंगत नियमों के अनुसार कार्यवाही की जाती है।
 16- परिक्षेत्र स्तर पर जनसूचना अधिकारी / सहायक जनसूचना अधिकारी के पदनाम एवं कार्यों का विवरण:-

क्र०सं०	नाम अधिकारी	पदनाम	कार्य
1-	श्री राजेश एस.	पुलिस उप महानिरीक्षक / अपीलीय अधिकारी	पर्यवेक्षण अधिकारी
2-	श्री अनिल कुमार भाटी	उप निरीक्षक (लिपिक) / प्रधान लिपिक / नोडल अधिकारी / जनसूचना अधिकारी	1- जनसूचना अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत व्यक्तियों / संस्थाओं द्वारा मांगी गयी सूचनाओं को अधीनस्थ जनपदों से प्राप्त कर सम्बन्धित को उपलब्ध कराना एवं सूचना का अधिकार-2005 की धारा 6(3) के अन्तर्गत सम्बन्धित जनपदों को अन्तरित किया जाना या सूचनायें प्राप्त कर सम्बन्धित को निर्धारित समय में उपलब्ध कराना। 2- जनसूचना से सम्बन्धित समस्त कार्य करना (समस्त अभिलेखों का रख-रखाव करना, आलेख प्रस्तुत करना, अनुस्मारक निर्गत करना एवं समस्त दस्तावेजों को कम्प्यूटर में अद्यतन करना।
3-	श्री बृजेश कुमार सिंह	सहायक उप निरीक्षक (लिपिक) / सहायक लिपिक प्रथम / सहायक जनसूचना अधिकारी	जनसूचना अधिकारी को अपनी शाखा से सम्बन्धित सूचना समय से उपलब्ध कराना।

- 17- सुसंगत नियमों के अनुसार कार्यवाही की जाती है।



जनसूचना अधिकारी
 कार्यालय पुलिस उप महानिरीक्षक,
 चित्रकूटधाम परिक्षेत्र, बोंदा।

मूल पर नहीं -

प्रतिलिपि: सहायक उप निरीक्षक (लिपिक) / सहायक लिपिक (प्रथम), श्री बृजेश कुमार सिंह को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।